BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

IN IA 867 & 868
IN
EA 36/2023
IN
OA 329/21

IN THE MATTER OF:

DEBANSHU BOSE *Applicant*

VERSUS

AGRA DEVELOPMENT AUTHORITY & ORS *Respondent*

AND IN THE MATTER OF:

1. **Mahendra Kumar Saraswat**
2. **Dori Lal Yadav**
   Interveners

ADDITIONAL DOCUMENTS FILED ON BEHALF OF AFOREMENTIONED INTERVENERS IN IA 867 & 868

The above-mentioned OA was filed to address the failure of state authorities in preventing sewage discharge on open land from Nalanda Town Colony, Shamshabad Road, Agra, a housing project developed by Nalanda Builders and Developers India Limited, Agra.

1. **Orders of the Hon'ble Tribunal:**

   The Hon'ble Tribunal held the Agra Development Authority (ADA) primarily responsible for this failure and directed the ADA to take remedial measures. Additionally, the Hon'ble Tribunal instructed the Additional Chief Secretary (ACS) Urban Development and ACS Housing and Urban Development to oversee these remedial measures. The Uttar Pradesh Pollution Control Board (UPPCB) was also directed to coordinate on the matter.

2. **Non-Compliance of Orders:**

   The details regarding the non-compliance of the Tribunal's orders have already been submitted in EA 36/2023 and IA 867 & 868 and are not repeated here for the sake of brevity.

   Similarly, details about the non-compliance of the Allahabad High Court orders and the non-completion of internal development works in the colony have been submitted through additional documents dated 12/07/24.

3. **Current Status of Sewage and STP Issues:**

Despite the Hon'ble NGT's directions that a proper sewage system must be connected to an appropriate Sewage Treatment Plant (STP), no action has been taken by the builder or enforced by ADA. The ground reality of the sewage system remains the same as before.

4. **Lack of Certification for STP:**

The adequacy and fitness of the established STP should be certified by an independent expert agency, as directed. Despite several complaints, neither ADA nor UPPCB has engaged any agency to certify the STP's adequacy, and no fitness certificate has been issued.

- **Annexure 1:** Reply of UPPCB in respect of RTI request from Intervener No. 1 dated 20/04/24.

5. **Inaction by UPPCB:**

The UPPCB has failed to take necessary action against the builder and ADA for ensuring the adequacy and fitness of the STP. Additionally, the UPPCB has not taken timely steps to recover the compensation of Rs 21,398,438 imposed on the builder in May 2022, in compliance with the Hon'ble NGT's order dated 24/03/22 in OA 329/21.

6. **Letters and Appeals by Intervener No. 2:**

In view of the lack of action, Intervener No. 2 wrote to various officials, including ADA, UD, Housing and Urban Development, and UPPCB, with copies to the Chief Secretary and the Hon'ble Chief Minister of Uttar Pradesh.

- **Annexure 2:** Copy of the letter dated 13/08/24.

7. **RTI Responses Regarding Compensation Recovery:**

Due to delays in the recovery of the compensation amount, the Interveners filed RTI requests to ascertain the status of recovery. The replies from UPPCB were ambiguous and misleading.

- **Annexure 3:** RTI reply dated 17/11/23 in respect of Intervener No. 1.
- **Annexure 4 & 5:** RTI request and UPPCB reply in respect of Intervener No. 2.

8. **Twitter Complaints by Intervener No. 2:**

   When official complaints did not lead to action, Intervener No. 2 also sent requests through the Twitter accounts of ADA, the Chief Secretary, and the Hon'ble Chief Minister of Uttar Pradesh.

- **Annexure 6:** Copy of Twitter message dated 12/09/23.
- **Annexure 7:** Copy of Twitter message dated 05/10/24.
- **Annexure 8:** Copy of Twitter message dated 09/10/24.

PRAYER:

In light of the facts and submissions above, it is humbly and respectfully requested to allow these additional documents to be annexed to the record in the interest of justice.

Intervener No. 1:

Mahendra Kumar Saraswat

Intervener No. 2:

Dori Lal Yadav

ANNEXURE 1

पत्रांक 83 /ओजी–334/2024 दिनांक 20/04/2024

पंजीकृत

प्रेषक,

जनसूचना अधिकारी,
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
पताः–14, सेक्टर–3बी, आवास विकास सिकन्दरा योजना,
आगरा–282007

सेवा में,

श्री महेन्द्र कुमार सारस्वत,
67–1, नालन्दा टाउन शमाशाबाद रोड़,
आगरा–282001.
(मो0 नं0–9412883685)

विषयः– जन सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत सूचना उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्धमें।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने जन सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के अर्न्तगत ऑनलाईन आवेदन पत्र सं0–DSPCB/R/2024/80022 दिनांक 28.03.2024 द्वारा इस कार्यालय में दिनांक 02.04.2024 को प्राप्त हुआ, का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। आपके सूचना अधिकार आवेदन पत्र का परिशीलन किया गया। आप द्वारा चाही गयी बिन्दुवार सूचना निम्नवत् है–

क0सं0	मांगी गयी सूचना	सूचना का विवरण
1	Please refer Para 1 of order of Hon'ble Apex court New Delhi dated 04/12/23 in civil appeal 3546/23, and provide copy of fitness of STP, constructed by builder in Nalanda Town Colony Shamshabad Road Agra.	Fitness copy of STP constructed by the builder of Nalanda Town is not provided by the builder.
2	Please provide copy of notice/ letter sent to ADA or any third-party expert agency to ascertain quality STP, constructed by builder in Nalanda Town Colony Shamshabad Road Agra, as required by Hon'ble Apex court New Delhi in first Para of aforementioned order.	Enclosed.
3	Please provide copy of letter /notice sent to ADA/ Appellant, whereby ADA was intimated of their statutory lapses/ defaults.	Enclosed.
4	Please provide copy of letter received from ADA if any whereby ADA intimated UPPCB regarding action taken by them to rectify lapses/ defaults.	Enclosed.
5	please provide copy of action taken by UPPCB against ADA for their statutory lapses/ defaults including imposition of penalty if any on ADA / recommendation of action against erring officials of ADA for violation of provisions of environment Acts.	Enclosed.

उपरोक्तानुसार सूचना आपको प्रेषित है तथा आपके ऑनलाईन आवेदन पत्र दिनांक 28.03.2024 को इस कार्यालय से निस्तारित किया जाता है।

भवदीय,

20/4/24

जनसूचना अधिकारी

आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा

पत्रांकः–696/डी/भवन/23–24 दिनांकः–23/12/2023

प्रेषक,

सचिव,
आगरा विकास प्राधिकरण,
आगरा।

सेवा में,

क्षेत्रीय अधिकारी,
उ0प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
14/3बी, आवास विकास, सिकन्दरा योजना,
आगरा।

विषयः–मा0सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या–3546/2023 आगरा विकास प्राधिकरण बनाम देवांशु बोस एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 04.12.2023 एवं मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओ0ए0 सं0–329/2023 देवांशु बोस बनाम आगरा विकास प्राधिकरण व अन्य में दिनांक 18.01.2023 एवं ई0ए0सं0–36/2023 देवांशु बोस बनाम आगरा विकास प्राधिकरण एवं अन्य में दिनांक 09.10.2023 को पारित आदेश के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अपने पंत्राक–1982/ओजी–673/2023 दिनांक 18.12.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल एप्लीकेशन सं0–329/2021 देवांशु बोस बनाम आगरा विकास प्राधिकरण व अन्य में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.01.2023 व 09.10.2023 व सिविल अपील सं0–3546/2023 आगरा विकास प्राधिकरण बनाम देवांशु बोस व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.12.2023 के अनुपालन के सम्बन्ध में है।

उपरोक्त सम्बन्ध में अवगत कराना है कि नालन्दा टाउन कॉलोनी का विकास श्री राधेश्याम शर्मा अधिकृत प्रतिनिधि मै0नालन्दा बिल्डर्स एण्ड डवलपर्स द्वारा किया गया है। विकासकर्ता द्वारा कॉलोनी में एस0टी0पी0 का निर्माण पूर्ण कर दिया गया है। एस0टी0पी0 का नियमित संचालन करने का कार्य विकासकर्ता/आर0डब्लू0ए0 का है। यदि विकासकर्ता/आर0डब्लू0ए0 द्वारा मानकों के अनुसार एस0टी0पी0 का संचालन नहीं किया जाता है तथा दूषित जल का भराव किया जाता है एवं पर्यावरण को क्षति पहुंचाई जाती है तो नियमानुसार उनके विरूद्ध पर्यावरण की क्षतिपूर्ति हेतु आर्थिक दण्ड की कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीया

सचिव

प्रतिलिपिः–

1. मुख्य पर्यावरण अधिकारी(खण्ड–4), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ का सूचनार्थ।
2. राधेश्याम शर्मा, अधिकृत प्रतिनिधि, नालंदा बिल्डर्स एण्ड डवलपर्स (आई) लि0, निवासी–105, फ्रेण्ड्स विहार पैराडाइज, खन्दारी, आगरा को इस आशय से कि उपरोक्तानुसार मा0राष्ट्रीय हरित अधिकरण एवं मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए एस0टी0पी0 का संचालन मानकों के अनुसार करना सुनिश्चित करें तथा यह सुनिश्चित करें कि गन्दे पानी का जलभराव आस–पास न हो। अनुपालन न करने की स्थिति में यदि कोई दण्डात्मक कार्यवाही होती है तो उसका पूरा उत्तरदायित्व आपका होगा।

सचिव

Email:roagra@uppcb.in

क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

सं0 14, सेक्टर 3बी, आवास विकास सिकन्दरा योजना, आगरा।

पत्रांक – 1982 / ओजी–673 / 2023 दिनांक – 18 / 12 / 2023

महत्वपूर्ण
मा0 सर्वोच्च न्यायालय / मा0 एन0जी0टी0 प्रकरण

सेवा में,
उपाध्यक्ष,
आगरा विकास प्राधिकरण,
आगरा।

विषयः– मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या–3546 / 2023 आगरा विकास प्राधिकरण बनाम देवांशु बोस एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 04.12.2023 एवं मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओ0ए0 संख्या–329 / 2023 देवांशु बोस बनाम आगरा विकास प्राधिकरण एवं अन्य में दिनांक 18.01.2023 एवं ई0ए0 संख्या 36 / 2023 देवांशु बोस बनाम आगरा विकास प्राधिकरण एवं अन्य में दिनांक 09.10.2023 को पारित आदेश के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। आप अवगत हैं कि श्री देवाशु बोस निवासी नालन्दा टाउन, शमसाबाद रोड, आगरा द्वारा नालन्दा टाउन से जनित सीवेज उत्प्रवाह को पम्पिंग सेट के माध्यम से नालन्दा टाउन गेट नं0–2 के बाहर सडक किनारे जमीन पर डिस्चार्ज किये जाने के सम्बन्ध में याचिका मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में दाखिल की गई थी। जिसमें मा0 अधिकरण द्वारा समय–समय पर आदेश पारित किये गये हैं। तत्क्रम में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा मै0 नालन्दा बिल्डर्स एण्ड डवलपर्स के डायरेक्टर श्री राधे श्याम शर्मा पुत्र श्री राम आसरे शर्मा, 105, फ्रेण्डस विहार पैराडाइस खन्दारी, आगरा के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रू0–2,1398,438 / –(रूपये दो करोड तेरह लाख अट्ठानवे हजार चार सौ अडतीस मात्र) कार्यालय के पत्र सख्या एच75360 / सी–4 / एन0जी0टी0–141 / 2022 दिनांक 10.05.2022 द्वारा अधिरोपित की गयी थी तथा वर्तमान मे आर0सी0 जारी किये जाने की कार्यवाही प्रगतिमान है।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा ओ0ए0 संख्या–329 / 2021 देवांशु बोस बनाम आगरा विकास प्राधिकरण एवं अन्य में दिनांक 24.3.2022 को आगरा विकास प्राधिकरण को अंतरिम क्षतिपूर्ति के रूप में रू0–25,00,000 / –(रूपये पच्चीस लाख मात्र) जिलाधिकारी महोदय, आगरा के पास जमा कराये जाने के सम्बन्ध में निर्देश जारी किये गये थे। जिसके कम मे आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा अतरिम क्षतिपूर्ति उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में दिनांक 28.07.2023 को जमा करायी गयी है। मा0 अधिकरण द्वारा दिनांक 18.01.2023 को पारित आदेशों में आगरा विकास प्राधिकरण को पर्यावरण को हुये नुकसान की भरपाई के सम्बन्ध में रू0–2,00,00,000 / –(रूपये दो करोड मात्र) क्षतिपूर्ति राज्य प्रदूषण नियत्रण बोर्ड के पास जमा कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

अवगत कराना है कि कार्यालय के प्राधिकारियों द्वारा दिनांक 23.11.2023 को क्षेत्रीय निरीक्षण के समय नालन्दा टाउन गेट नं0–2 के बाहर सडक पर नालन्दा टाउन कॉलोनी से जनित सीवेज उत्प्रवाह पूर्व की भॉति एकत्रित पाया गया जोकि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 का स्पष्ट उल्लंघन दर्शाता है।

नालन्दा टाउन, शमसाबाद रोड, आगरा में बिल्डर द्वारा स्थापित कराये गये सीवेज ट्रीटमेण्ट प्लान्ट के आउटलेट से जनित उत्प्रवाह का नमूना दिनांक 30.11.2023 को एकत्रित किया गया। जिसे विश्लेषण हेतु क्षेत्रीय कार्यालय की प्रयोगशाला मे जमा कराया गया। प्राप्त विश्लेषण आख्यानुसार सभी प्रचालकों की मात्रा निर्धारित मानकों से अधिक पायी गयी। जिससे स्पष्ट है कि सीवेज ट्रीटमेण्ट प्लान्ट का संचालन समुचित रूप से नही किया जा रहा है।

उल्लेखनीय है कि मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या–3546/2023 आगरा विकास प्राधिकरण बनाम देवांशु बोस एवं अन्य में दिनांक 04.12.2023 को निम्नवत् आदेश पारित किये गये हैं:–

The Consent to establish mandates ensuring that the established treatment plant satisfies the requirements as per law. Respondent No. 3- Uttar Pradesh Pollution Control Board will verify whether there are lapses/default and notify the appellant- Agra Development Authority who will rectify them and provide the necessary evidence of compliance within the shortest possible time. In case the violation persists, it will be open to respondent no. 3- Uttar Pradesh Pollution Control Board to take steps in accordance with law, including the imposition of penalty etc.

Respondent No. 3- Uttar Pradesh Pollution Control Board will file an affidavit within 12 weeks stating whether the appellant is complying the statutory norms and stipulations and in case of default, the action taken by them.

Re-list in March 2024.

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में अनुरोध है कि नालन्दा टाउन शमसाबाद रोड, आगरा में स्थापित एस0टी0पी0 का नियमित संचालन/रखरखाव एवं नालन्दा टाउन गेट नं0–2 के बाहर सडक किनारे नालन्दा टाउन कॉलोनी से जनित सीवेज उत्प्रवाह को शुद्धिकृत कराने के उपरान्त ही डिस्पोसल करने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही आगरा विकास प्राधिकरण स्तर से अथवा मै0 नालन्दा बिल्डर्स एण्ड डवलपर्स से कराने का कष्ट करें तथा यह भी सुनिश्चित कराना चाहें कि भविष्य मे इस प्रकार की पुनरावृति न हो अन्यथा की दशा में शोधित उत्प्रवाह मानकों के अनुरूप निस्तारण न किये जाने पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करने एवं संस्था के उत्तदायी व्यक्ति के विरूद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही प्रारम्भ की जा सकती है।

भवदीय

(डा0 विश्वनाथ शर्मा)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि:–मुख्य पर्यावरण अधिकारी(वृत्त–4), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ सादर प्रेषित।

18/11/23
क्षेत्रीय अधिकारी

Email:roagra@uppcb.in

क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

सं0 14, सेक्टर 3बी, आवास विकास सिकन्दरा योजना, आगरा।

पत्रांक –2234/ओजी–706/2024 दिनांक –28/02/2024

महत्वपूर्ण

मा0 सर्वोच्च न्यायालय/मा0 एन0जी0टी0 प्रकरण

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी(वृत्त–4),
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।

विषयः–मै0 नालन्दा टाउन, शमसाबाद रोड, आगरा में स्थापित उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयत्र द्वारा मानकों के अनुरूप उत्प्रवाह निस्तारित न किये जाने के कम में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

सदर्भः–मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या–3546/2023 आगरा विकास प्राधिकरण बनाम देवांशु बोस एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 04.12.2023 एवं मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओ0ए0 संख्या–329/2023 देवांशु बोस बनाम आगरा विकास प्राधिकरण एवं अन्य में दिनांक 18.01.2023 एवं ई0ए0 संख्या 36/2023 देवांशु बोस बनाम आगरा विकास प्राधिकरण एवं अन्य में दिनांक 09.10.2023 को पारित आदेश के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। अवगत कराना है कि श्री देवांशु बोस निवासी नालन्दा टाउन, शमसाबाद रोड, आगरा द्वारा नालन्दा टाउन से जनित सीवेज उत्प्रवाह को पम्पिंग सेट के माध्यम से नालन्दा टाउन गेट नं0–2 के बाहर सड़क किनारे जमीन पर डिस्चार्ज किये जाने के सम्बन्ध में याचिका मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में दाखिल की गई थी। जिसमें मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेशों के कम में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा मै0 नालन्दा बिल्डर्स एण्ड डवलपर्स के डायरेक्टर श्री राधे श्याम शर्मा पुत्र श्री राम आसरे शर्मा, 105, फ्रेण्डस विहार पैराडाइस खन्दारी, आगरा के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रू0–2,1398,438/–(रूपये दो करोड़ तेरह लाख अट्ठानवे हजार चार सौ अड़तीस मात्र) कार्यालय के पत्र संख्या एच75360/सी–4/एन0जी0टी0–141/2022 दिनांक 10.05.2022 द्वारा अधिरोपित की गयी थी। **(संलग्नक–1)** जिसके कम में क्षेत्रीय कार्यालय के पत्रांक 1849/एन–1277/2023 दिनांक 08.11.2023 द्वारा आर0सी0 जारी किये जाने के सम्बन्ध में बोर्ड मुख्यालय पत्र प्रेषित किया गया था। **(संलग्नक–2)** बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक एच03063/सी–4/सा–154/पर्या0क्षति0/2023 दिनांक 20.11.2023 द्वारा जिलाधिकारी महोदय को अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि की भू–राजस्व की भॉति वसूली किये जाने के सम्बन्ध में पत्र प्रेषित किया गया। **(संलग्नक–3)** जिलाधिकारी महोदय द्वारा अपने पत्र दिनांक 04.12.2023 द्वारा अपर जिलाधिकारी(वि0/रा0), आगरा को भू–राजस्व की भॉति वसूली किये जाने के सम्बन्ध में निर्देशित किया गया। **(संलग्नक–4)** अपर जिलाधिकारी(वि0/रा0) द्वारा अपने पत्र दिनांक 13.12.2023 द्वारा तहसीलदार (सदर), आगरा को आवश्यक कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में पत्र प्रेषित किया गया है। **(संलग्नक–5)**

मा0 अधिकरण द्वारा दिनांक 18.01.2023 को पारित आदेशों में आगरा विकास प्राधिकरण को पर्यावरण को हुये नुकसान की भरपाई के सम्बन्ध में रू0–2,00,00,000/–(रूपये दो करोड़ मात्र) क्षतिपूर्ति राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पास जमा कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

उल्लेखनीय है कि मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या–3546/2023 आगरा विकास प्राधिकरण बनाम देवांशु बोस एवं अन्य में दिनांक 04.12.2023 को निम्नवत् आदेश पारित किये गये हैं:–

The Consent to establish mandates ensuring that the established treatment plant satisfies the requirements as per law. Respondent No. 3- Uttar Pradesh Pollution Control Board will verify whether there are lapses/default and notify the appellant- Agra Development Authority who will rectify them and provide the necessary evidence of compliance within the shortest possible time. In case the violation persists, it will be open to respondent no. 3- Uttar Pradesh Pollution Control Board to take steps in accordance with law, including the imposition of penalty etc.

Respondent No. 3- Uttar Pradesh Pollution Control Board will file an affidavit within 12 weeks stating whether the appellant is complying the statutory norms and stipulations and in case of default, the action taken by them.

Re-list in March 2024.

नालन्दा टाउन कालोनी, शमसाबाद रोड, आगरा में स्थापित सीवेज ट्रीटमेण्ट प्लान्ट के आउटलेट से जनित उत्प्रवाह का नमूना दिनांक 30.11.2023 को एकत्रित किया गया। प्राप्त विश्लेषण आख्यानुसार सभी प्रचालकों की मात्रा निर्धारित मानकों से अधिक पायी गयी। जिससे स्पष्ट है कि सीवेज ट्रीटमेण्ट प्लान्ट का संचालन समुचित रूप से नहीं किया जा रहा है। मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या–3546/2023 आगरा विकास प्राधिकरण बनाम देवांशु बोस एवं अन्य में दिनांक 04.12.2023 को पारित आदेश के कम में कार्यालय के पत्रांक 1982/ओजी–673/2023 दिनांक 18.12.2023 द्वारा उपाध्यक्ष, आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा को पत्र प्रेषित किया गया। **(संलग्नक–6)**

सचिव, आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा द्वारा अपने पत्रांक 696/डी/भवन/23–24 दिनांक 23.12.2023 द्वारा प्रेषित पत्र में अवगत कराया गया है कि नालन्दा टाउन कालोनी का विकास श्री राधेश्याम शर्मा अधिकृत प्रतिनिधि मै0 नालन्दा बिल्डर्स एण्ड डवलपर्स द्वारा किया गया है। विकासकर्ता द्वारा कालोनी में एस0टी0पी0 का निर्माण पूर्ण कर दिया गया है। एस0टी0पी0 का नियमित संचालन करने का कार्य विकासकर्ता/आर0डब्लू0ए0 का है। यदि विकासकर्ता/आर0डब्लू0ए0 द्वारा मानकों के अनुसार एस0टी0पी0 का संचालन नहीं किया जाता है तथा दूषित जल का भराव किया जाता है एव पर्यावरण को क्षति पहुँचाई जाती है तो उनके विरूद्ध पर्यावरण क्षतिपूर्ति की कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में अनुरोध किया गया है। **(संलग्नक–7)**

अग्रेतर नालन्दा टाउन, शमसाबाद रोड, आगरा में स्थापित सीवेज ट्रीटमेण्ट प्लान्ट के आउटलेट से जनित उत्प्रवाह का नमूना का पुनः दिनांक **06.02.2024** को एकत्रित किया गया। निरीक्षण के समय नालन्दा टाउन कालोनी गेट नं0–2 के बाहर सड़क किनारे नालन्दा टाउन कालोनी से जनित घरेलू उत्प्रवाह एकत्रित पाया गया। प्राप्त विश्लेषण आख्यानुसार सभी प्रचालकों की मात्रा निर्धारित मानकों से अधिक पायी गयी। जिससे स्पष्ट है कि सीवेज ट्रीटमेण्ट प्लान्ट का संचालन समुचित रूप से नहीं किया जा रहा है।

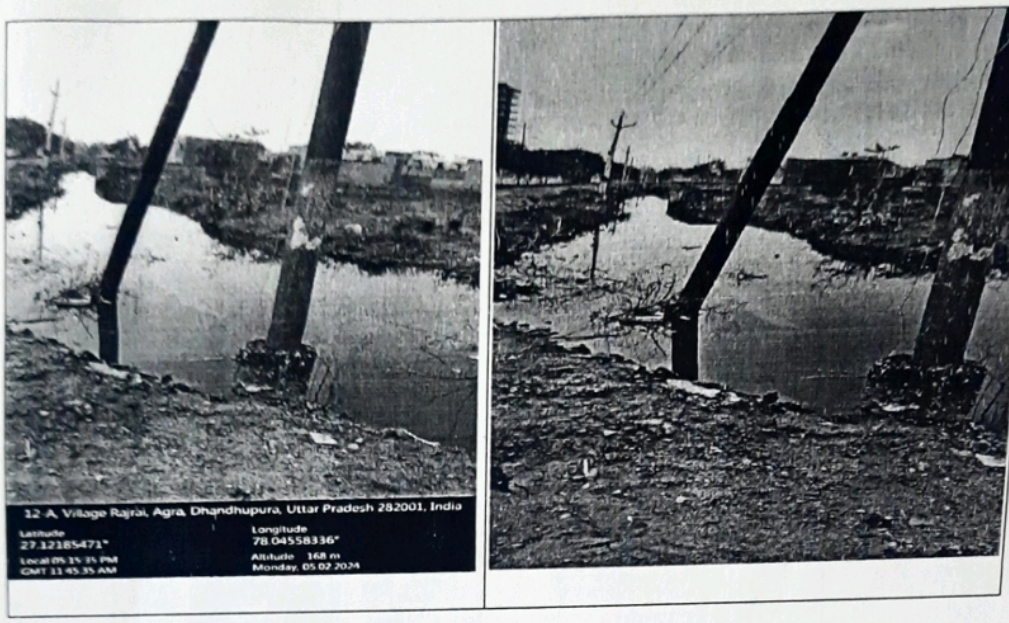

अतः उपरोक्त के कम में नालन्दा टाउन कालोनी, शमसाबाद रोड, आगरा के अधिकृत प्रतिनिधि श्री राधेश्याम शर्मा, मै0 नालन्दा बिल्डर्स एण्ड डवलपर्स (आई) लि0, निवासी–145, फ्रेण्डस विहार पैराडाइज, खंदारी, आगरा के विरूद्ध नालन्दा टाउन कालोनी, शमसाबाद रोड, आगरा में स्थापित एस0टी0पी0 का नियमित संचालन/रखरखाव न किये जाने के कारण प्रचालको की मात्रा मानको से अधिक होने एवं रोड साइड एकत्रित घरेलू उत्प्रवाह होने के कम में दिनांक 30.11.2023 से दिनांक 27.02.2024 तक केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी गाइडलाईन्स के आधार पर पर्यावरण क्षतिपूर्ति रू0–10,54,687.50 अधिरोपित किये जाने की संस्तुति सहित आख्या अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

भवदीय

(डा0 विश्वनाथ शर्मा)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपिः–उपाध्यक्ष महोदया, आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

23/2/24
क्षेत्रीय अधिकारी

O/C

Respected Sir(s),

Subject: Non-Compliance with the Hon'ble Apex Court's Order in Civil Appeal No. 3546/23

1. Introduction and Background

With due respect, I, D. L. Yadav, one of the impleaders in Civil Appeal No. 3546/23 (Agra Development Authority vs. Devanshu Bose & ORS.), humbly wish to draw your kind attention to the Hon'ble Apex Court's order dated 04/12/23 and its non-compliance. This order is reproduced below for your kind reference, due consideration, and necessary action:

2. Excerpt from the Hon'ble Apex Court's Order

"The consent to establish mandates ensuring that the established treatment plant satisfies the requirements as per law. Respondent No. 3 - Uttar Pradesh Pollution Control Board (UPPCB) will verify whether there are lapses/defaults and notify the appellant - Agra Development Authority, who will rectify them and provide the necessary evidence of compliance within the shortest possible time. In case violations persist, it will be open to Respondent No. 3 - Uttar Pradesh Pollution Control Board to take steps in accordance with law, including the imposition of penalties, etc."

3. Issues with the Construction and Monitoring of the Sewage Treatment Plant (STP)

The Hon'ble Apex Court's order clearly mandates that the established treatment plant must satisfy the requirements as per law. To ensure true compliance with this order, it was essential for the Agra Development Authority (ADA) to closely monitor the quality and proper size of the construction of the Sewage Treatment Plant (STP). The constructed STP must be able to treat discharged sewage properly to prevent future environmental damage. However, it is disheartening to note that no attention was paid by ADA officials to ensure the quality and size of the STP.

4. Violations and Non-Compliance

The parameters outlined in the project report were violated during construction, resulting in substandard and undersized construction, which fails to meet the legal requirements. This situation indicates a clear non-compliance with the Hon'ble Apex Court's order.

5. Role of the Uttar Pradesh Pollution Control Board (UPPCB)

Respondent No. 3 - Uttar Pradesh Pollution Control Board (UPPCB) was directed to verify any lapses or defects and notify the appellant. However, it is questionable whether these directions were followed. Did UPPCB verify whether the construction of the STP adhered to the parameters of the project report, including its size?

6. ADA's Lack of Monitoring and Response to Complaints

It is highly surprising that ADA officials did not monitor the quality and size of the STP despite repeated complaints from the residents of the colony. Had UPPCB conducted timely verification during the STP's construction as directed by the Hon'ble Apex Court, there would have been a greater probability of compliance, and corrective measures could have been taken.

7. Inadequate Action by UPPCB

Various complaints regarding the STP constructed by the builder in Nalanda Town Colony, Shamshabad Road, Agra, have been forwarded but have yielded no results. UPPCB imposed a penalty of ₹21,398,438 on the builder in compliance with the Hon'ble NGT's order dated 24/03/22. However, it is surprising that UPPCB did not address the casual attitude of ADA officials or their failure to meet their statutory obligations.

8. Environmental Protection Obligations of Agra Development Authority

As the competent authority in real estate matters in Agra, it is mandatory for Agra Development Authority to ensure the completion of all internal development works in all approved colonies, particularly those related to environmental protection, such as STPs, water harvesting systems, solid waste management, solar panels, and water treatment plants. Unfortunately, many of these works remain incomplete in most approved colonies, with ADA officials showing indifference.

9. UPPCB's Failure to Enforce Compliance

As the nodal agency for environmental protection, UPPCB should initiate or recommend action against erring officials of ADA. Although Hon'ble courts have repeatedly given directions in this regard, there appears to be a lack of compliance.

10. Delayed Penalty Enforcement and Ineffectiveness

It is surprising that UPPCB only requested the DM, Agra, to recover the penalty of ₹21,398,438 from the builder through RC/Coercive measures after nearly two years, despite repeated complaints. This delay raises concerns about the effectiveness of measures to restrain wrongdoing by developers.

11. Additional Penalties and Questionable Inspection Practices

After the Hon'ble NGT's final order on 18/01/23 in OA 329/21, and despite the construction of the STP, pollution persisted. The UPPCB team inspected the colony in November 2023 and February 2024, imposing an additional penalty of ₹1,054,687.57 on the builder. However, the inspection delay (10 and 13 months after the final order) further questions the UPPCB's working methods.

12. Questionable Scope of Penalties

On both inspection occasions (11/23 & 02/24), samples were collected, and analysis reports were found to be beyond permissible norms. RO UPPCB recommended penalties for a two-month period only, which does not seem to align with the law. Why shouldn't the penalty cover the entire period until the inspection?

13. Status of Previous Penalty Recovery

It remains unclear whether the correct status of the recovery of the previous penalty of ₹21,398,438 imposed by UPPCB in May 2022 has been communicated to the Hon'ble Supreme Court.

14. Conclusion and Humble Requests

In view of the above submissions, it is humbly requested:

1. To ensure the construction of the STP in accordance with the law as directed by the Hon'ble court/courts.
2. Direct the Agra Development Authority to have the quality of the STP checked through a third-party expert agency, with the cost borne by either ADA or the builder.
3. Ensure the imposition of a proper penalty on the builder in accordance with the law, considering the continuance of pollution and its speedy recovery.
4. Ensure the speedy recovery of the previous penalty of ₹21,398,438 and utilize the same to restore environmental damage as per the law.
5. Analyze the lapses/faults on the part of ADA officials and recommend action against the erring officials of ADA as per the law.

Please acknowledge receipt and apprise me of the action taken in these matters so that the true facts may be brought to the kind notice of the Hon'ble Supreme Court before the next date, through an additional affidavit, for the proper disposal and adjudication of the case.

Regards,

Dori Lal Yadav
Impleader in Civil Appeal 3546/23

12:05 am

पत्रांक 1862 /ओजी–334/2023 दिनांक 17/11/2023

पंजीकृत

प्रेषक,

जनसूचना अधिकारी,
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
पताः–14, सेक्टर–3बी, आवास विकास सिकन्दरा योजना,
आगरा–282007

सेवा में,

श्री महेन्द्र कुमार सारस्वत,
67–ए, नालन्दा टाउन, शमशाबाद रोड़,
आगरा–282001.

विषयः– सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत सूचना उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने जन सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के अर्न्तगत ऑनलाईन आवेदन पत्र सं0–DSPCB/R/2023/60224 दिनांक 02.11.2023 द्वारा इस कार्यालय में दिनांक 07.11.2023 को प्राप्त हुआ, का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। आपके सूचना अधिकार आवेदन पत्र का परिशीलन किया गया। आप द्वारा चाही गयी बिन्दुवार सूचना निम्नवत् है–

क0सं0	मांगी गयी सूचना	उत्तर
1	कृपया आरओ यूपीपीसीबी, आगरा का पत्र क्रमांक 1094/ओजी–6 7 3/2023 दिनांक 09.09.2023 देखें जो सीईओ सर्किल–4 यूपीपीसीबी लखनऊ को सम्बोधित है और पत्र क्रमांक 1372/ ओजी –673/2023 दिनांक 20.01.2023, दोनों पत्र आरसी जारी करने के लिये लिखे गये हैं, बिल्डर श्री राधे श्याम शर्मा निदेशक नालंदा बिल्डर्स एण्ड डेवलपर्स इण्डिया लि0 के खिलाफ, तो इस बिल्डर के खिलाफ जारी आरसी की प्रति प्रदान करें।	प्रकरण पर बिल्डर्स से पर्यावरण क्षतिपूर्ति की धनराशि राजस्व वसूली की भाँति जमा कराये जाने के सम्बन्ध में आर0सी0 किये जाने हेतु पत्र जारी करने के लिये पुनः राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मुख्यालय को इस कार्यालय के पत्र दिनांक 08.11.2023 द्वारा पत्र प्रेषित किया गया है।
2	यदि आरओ यूपीपीसीबी आगरा के बार–बार आग्रह के बावजूद अब तक बिल्डर के खिलाफ कोई आरसी जारी नहीं हुई है, तो कृपया तदनुसार सूचित करें।	
3	आरओ यूपीपीसीबी आगरा द्वारा बार–बार पत्र या नोटिस देने के बावजूद बिल्डर ने जुर्माने की राशि जमा नहीं की, कृपया बताए कि उसके बाद आरओ यूपीपीसीबी आगरा या यूपीपीसीबी लखनऊ द्वारा क्या दंडात्मक कार्यवाई की गई, कृपया बिल्डर के खिलाफ की गई कार्यवाही की प्रति प्रदान करें, यदि कोई हो।	
4	यदि आरओ यूपीपीसीबी आगरा या यूपीपीसीबी लखनऊ द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई है, तो कृपया तदनुसार सूचित करें।	
5	ऐसा लगता है कि बिल्डर को पर्याप्त से अधिक समय दिया गया है ताकि वह जुर्माना रूकवाने के लिये कानूनी कार्यवाही का, सहारा ले सके, यदि जुर्माना रूकवाने के लिये बिल्डर ने ऐसी कोई कार्यवाही की है, तो कृपया सूचित करें, अन्यथा सूचित करें। चूंकि यह जुर्माना ओए 329/21 में मा0 एनजीटी नई दिल्ली के आदेश दिनांक 24.03. 2022 के अनुपालन में लगाया गया था, इसलिये मा0 एनजीटी नई दिल्ली के आदेश के उचित अनुपालन के लिये वसूली सुनिश्चित करना अपरिहार्य है, जो कि अभी तक नहीं किया गया, कृपया ये सूचनाएं प्रदान करें ताकि मा0 एनजीटी नई दिल्ली में श्री देवांशु बोस द्वारा दायर ईए/36 में जरूरत पड़ने पर ये सूचनाएं प्रस्तुत की सकें।	

उपरोक्तानुसार सूचना आपको प्रेषित है तथा आपके ऑनलाईन आवेदन पत्र दिनांक 02.11.2023 को इस कार्यालय से निस्तारित किया जाता है।

भवदीय,

17/11/23

जनसूचना अधिकारी

Screenshot_20240519-16272...

595 KB

rtionline.up.gov.in

ANNEXURE 4

ऑनलाइन आरटीआई अनुरोध फॉर्म विवरण

जन सूचनाअधिकारी का विवरण :-

* लोक प्राधिकारी	पर्यावरण निदेशालय

आरटीआई आवेदक का व्यक्तिगत विवरण:-

पंजीकरण संख्या	DRENV/R/2024/60043
फाइलिंग की तारीख	13/05/2024
* नाम	Dori lal yadav
लिंग	पुरुष
* पता	277ए नालंदा टाउन
जिला	Agra
पिन कोड	282001
राज्य	Uttar Pradesh
शैक्षिक स्थिति	विवरण प्रदान नहीं किया गया
दूरभाष संख्या	+91-6396583077
मोबाईल नम्बर	+91-6395123389
ईमेल आईडी	dlyadavconcor[at]gmail[dot]com
नागरिकता	भारतीय
* क्या आवेदक गरीबी रेखा से नीचे का है ?	नहीं

RTI आवेदन का विवरण u/s 6(1) :-

((मांग की गई जानकारी का विवरण (500 शब्द तक))

* जानकारी का विवरण मांगा	sir please provide following informations. 1- copy of recovery certificate issued against nalanda builder for recovery of penalty of Rs 21398438/ imposed for creation of pollution in his project , nalanda town colony shamsabad road agra. 2- copy of correspondence with dm agra or letter written to dm agra if any for recovery of penalty of Rs 21398438 from nalanda builders . 3- present status of action taken by dm agra in this regard. 4- copy of notice issued by uppcb lucknow or agra to nalanda builder for intimation of imposition of further penalty of rs 1054687.50 on him for continuance of pollution in or around nalanda town colony due to stagnation of sewerage mixed untreated water in open land due to non operation of stp . 5- period for which said penalty of Rs 1054687.50 has been imposed on builder. 6- since pollution has been continuing even after imposition of penalty of Rs 21398438 , ground for imposition of fresh penalty for shorter period and not for total period ? 7- whether penalty of Rs 1054687.50 has been imposed at initial rate or at enhanced rate.
* संबंधित पीआईओ	SHRUTI SHUKLA
पदनाम	DY DIRECTOR
फोन नंबर।	05222300541
ईमेल	doeuplko@yahoo.com

पत्रांक 210 /बोजी–334/2024 दिनांक 29 /05/2024

पंजीकृत

प्रेषक,

जनसूचना अधिकारी,
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
पता–14, सेक्टर–3बी, आवास विकास सिकन्दरा योजना,
आगरा–282007

सेवा में,

श्री डोरी लाल यादव,
277ए, नालंदा टाउन,
आगरा–282001.
(मो0 नं0–6396883077)

विषय:– जन सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत प्रथम अपील सूचना उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने जन सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत ऑनलाईन आवेदन पत्र सं0–DSPCB/R/2024/80038 दिनांक 14.05.2024 द्वारा इस कार्यालय में दिनांक 16.05.2024 को प्राप्त हुआ, का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। आपके सूचना अधिकार आवेदन पत्र का परिशीलन किया गया। आप द्वारा मांगी गयी बिन्दुवार सूचना निम्नवत् है–

क्रम सं0	मांगी गयी सूचना	सूचना का विवरण
1	copy of recovery certificate issued against nalanda builder for recovery of penalty of Rs 21398438/ imposed for creation of pollution in his project , nalanda town colony shamsabad road agra.	कार्यालय अभिलेखानुसार जुर्माना वसूली का प्रमाण पत्र पत्रावली में उपलब्ध नहीं है।
2	copy of correspondence with dm agra or letter written to dm agra if any for recovery of penalty of Rs 21398 438 from nalanda builders .	पत्र संलग्नक है।
3	present status of action taken by dm agra in this regard.	पत्र संलग्नक है।
4	copy of notice issued by uppcb lucknow or agra to nalanda builder for intimation of imposition of further penalty of rs 1054687.50 on him for continuance of pollution in or around nalanda town colony due to stagnation of sewerage mixed untreated water in open land due to non operation of stp .	बोर्ड मुख्यालय द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस दिनांक 05.03.2024 संलग्न है।
5	period for which said penalty of Rs 1054687.50 has been imposed on builder.	सूचना बिन्दु संख्या–04 के अनुसार।
6	since pollution has been continuing even after imposition of penalty of Rs 21398438, ground for imposition of fresh penalty for shorter period and not for total period ?	सूचना बिन्दु संख्या–04 के अनुसार।
7	whether penalty of Rs 1054687.50 has been imposed at initial rate or at enhanced rate.	सूचना बिन्दु संख्या–04 के अनुसार।

उपरोक्तानुसार सूचना आपको प्रेषित है तथा आपके ऑनलाईन आवेदन पत्र दिनांक 14.05.2024 को इस कार्यालय से निस्तारित किया जाता है।

संलग्नक – यथोपरि।

भवदीय,

जनसूचना अधिकारी

9:51 85%

You
4 photos
4:37 pm

3,088 posts

Posts Replies Highlights Articles Media

Dori Lal Yadav @ArduousWarrior · 12 Sep

@ChiefSecyUP
@myogiadityanath
@UPGovt

Hon'ble sirs

Pl direct DM Agra to ensure recovery from Nalanda builders also who has been penalized for Rs 21398438/ for violation of provisions of environment by UPPCB, and probably by now not deposited after elapse of 1 yr.

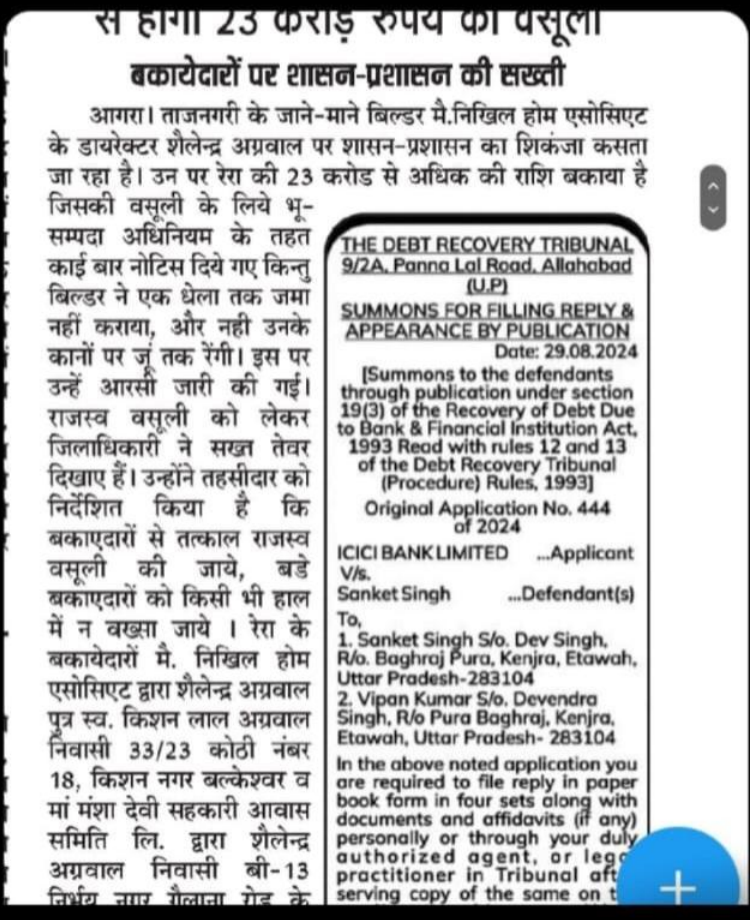

से होगी 23 करोड़ रुपये की वसूली

बकायेदारों पर शासन-प्रशासन की सख्ती

आगरा। ताजनगरी के जाने-माने बिल्डर मै.निखिल होम एसोसिएट के डायरेक्टर शैलेन्द्र अग्रवाल पर शासन-प्रशासन का शिकंजा कसता जा रहा है। उन पर रेरा की 23 करोड से अधिक की राशि बकाया है जिसकी वसूली के लिये भू-सम्पदा अधिनियम के तहत काई बार नोटिस दिये गए किन्तु बिल्डर ने एक धेला तक जमा नहीं कराया, और नही उनके कानों पर जूं तक रेंगी। इस पर उन्हें आरसी जारी की गई। राजस्व वसूली को लेकर जिलाधिकारी ने सख्त तेवर दिखाए हैं। उन्होंने तहसीदार को निर्देशित किया है कि बकाएदारों से तत्काल राजस्व वसूली की जाये, बडे बकाएदारों को किसी भी हाल में न बख्सा जाये । रेरा के बकायेदारों मै. निखिल होम एसोसिएट द्वारा शैलेन्द्र अग्रवाल पुत्र स्व. किशन लाल अग्रवाल निवासी 33/23 कोठी नंबर 18, किशन नगर बल्केश्वर व मां मंशा देवी सहकारी आवास समिति लि. द्वारा शैलेन्द्र अग्रवाल निवासी बी-13 निर्भय नगर गैलाना रोड के

THE DEBT RECOVERY TRIBUNAL
9/2A, Panna Lal Road, Allahabad (U.P)

SUMMONS FOR FILLING REPLY & APPEARANCE BY PUBLICATION

Date: 29.08.2024

[Summons to the defendants through publication under section 19(3) of the Recovery of Debt Due to Bank & Financial Institution Act, 1993 Read with rules 12 and 13 of the Debt Recovery Tribunal (Procedure) Rules, 1993]

Original Application No. 444 of 2024

ICICI BANK LIMITED ...Applicant
V/s.
Sanket Singh ...Defendant(s)

To,
1. Sanket Singh S/o. Dev Singh, R/o. Baghraj Pura, Kenjra, Etawah, Uttar Pradesh-283104
2. Vipan Kumar S/o. Devendra Singh, R/o Pura Baghraj, Kenjra, Etawah, Uttar Pradesh- 283104

In the above noted application you are required to file reply in paper book form in four sets along with documents and affidavits (if any) personally or through your duly authorized agent, or lega practitioner in Tribunal aft serving copy of the same on t

9:52 • 85%

178

18

ANNEXURE 7

← You
4 photos

29

Dori Lal Yadav @ArduousWarrior · 05 Oct
@ChiefSecyUP
@myogiadityanath
@CMOfficeUP
Hon'ble sir

Pl ensure compliance of writc 58986/16, OA 329/21, and civil appeal 3546/23 if really serious

लेट लतीफी पर सीएम योगी सख्त, कहा- '3 दिन से ज्यादा न लटके कोई फाइल, सीधे मुझसे मिलें'

abplive.com
लेट लतीफी पर सीएम योगी सख्त, कहा- '3 दिन से ज्यादा न लटके कोई फाइल'

2 48

4:36 • 45%

← Post

@ArduousWarrior

@myogiadityanath
Hon'ble sir
Pl check my email sent to cs up on 16/08/24 and DM Agra on12/09/24 , copies to you also regarding compliance of court' order and recovery of environmental compensation, pl do needful if feasible???

9:20 am · 09 Oct 24 · **35** Views

View post activity

Most relevant replies

Add another post

4:37 pm

Reply